संख्या– / XXVII(7)50(08)/2017

प्रेषक,

**अमित सिंह नेगी,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,**
   उत्तराखण्ड शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,**
   उत्तराखण्ड।

**वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7** **देहरादूनः दिनांकः** अगस्त, **2017**

**विषयः सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय अनुशासन तथा "वैल्यू फार मनी" के सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुमन्य व्यय को कम करने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 1997, 29 मई, 1999 एवं 07 जून, 2017 द्वारा प्रत्येक अधिकारी जिन्हें शासकीय वाहन आवंटित है, को कार्यरत अवधि में वाहन के उपयोग के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं। उक्त शासनादेशों में प्रत्येक अधिकारी जिन्हें राजकीय वाहन आवंटित है, को प्रतिमाह 200 किलोमीटर तक राजकीय वाहन का निजी प्रयोग अनुमन्य किया गया है। यदि निजी उपयोग किसी माह में 200 किलोमीटर से अधिक होता है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा रू0 3/– प्रति किलोमीटर की दर से धनराशि देय होगी।

2. उक्त सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी माह में शासकीय वाहन का निजी उपयोग 200 किलोमीटर से अधिक किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी से रू0 03/– प्रति किलोमीटर के स्थान पर रू0 10/– प्रति किलोमीटर की दर से धनराशि वसूल कर राजकोष में जमा की जाय।

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

**(अमित सिंह नेगी)**
सचिव।

**क्रमशः.....2**

**संख्या–/२५/XXVII(7)50(06)/2017 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम/स्वायत्तशासी संस्थायें/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/बरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून (राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु)।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)**
अपर सचिव।

संख्या–84 /XXVII(7)50(06)/2017

प्रेषक,

**राधा रतूड़ी,**
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: 07 जून 2017

**विषयः–राजकीय व्यय में मितव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।**

महोदय,

वित्तीय अनुशासन तथा "वैल्यू फार मनी" के सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुमन्य व्यय को कम करने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 19.03.1997 एवं 29 मई, 1999 द्वारा वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थे। उक्त शासनादेशों के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जिन्हें वाहन आवंटित है को 200 किलोमीटर प्रतिमाह तक वाहन का निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष में प्रति माह प्रति वाहन के आधार पर कार के लिए रू0 500/– तथा जीप के लिए रू0 400/– जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा किये जाने वाले प्रति वाहन, प्रति माह की वर्तमान राशि में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू0 2000/– प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी जाय।

2. उक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

3. उक्त धनराशि राजकोष में यथानिर्धारित लेखाशीर्षक के अधीन पूर्व की भांति जमा की जायेगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

**संख्या– ⁄ /XXVII(7)50(06)/2017 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम/स्वायत्तशासी संस्थायें/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/बरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून (राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु)।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(अमित सिंह नेगी)**
सचिव।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग 710/दस-सं. वि.-मित.-2-97 लखनऊ : दिनांक 29 मई, 1999

विषय राजकीय व्यय में मिव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख-रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

वित्तीय अनुशासन तथा "वैल्यू फार मनी" के सिद्धान्त के अनुत्पादक व्यय को कम करने के उद्देश्य से शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत दिनांक 19-3-1997 को वाहनों के उपयोग के संबंध में आदेश जारी किये गये थे जिसके अनुसार प्रत्येक अधिकारी द्वारा जिसे वाहन आवंटित है 200 किलोमीटर प्रतिमाह तक निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष में प्रतिमाह प्रति वाहन के आधार पर कार के लिए रु. 250/- तथा जीप के लिये रु. 200/- जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा किये जाने वाले प्रति वाहन, प्रतिमाह की वर्तमान राशि में वृद्धि करते हुए, दिनांक 1 जून, 1999 से कार के लिए रु. 500/- प्रतिमाह तथा जीप के लिए रु. 400/- प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी जाय।

2- कृपया उक्त आदेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3- राजकीय कोष में उक्त राशि को जमा किये जाने हेतु लेखा शीर्षक निम्न प्रकार है :-

"लेखा शीर्षक 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें-60 अन्य सेवायें-800 अन्य प्राप्तियां-05 अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहन प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में हुई प्राप्तियां"

यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रत्येक अधिकारी द्वारा उक्त शासनादेश के अन्तर्गत प्रतिमाह प्रति वाहन उल्लिखित राशि नियमानुसार जमा की जा रही है/वेतन से स्रोत पर ही कटौती कर ली गई है।

योगेन्द्र नारायण, मुख्य सचिव।

**वित्त संसाधन विधियां अनुभाग/संख्या-315/दस-सं. वि. 2/97**

प्रेषक,

श्री बृजेन्द्र सहाय,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

*[लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 1997]*

**विषय :** राजकीय व्यय में मिव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख-रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश के विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने तथा अनुत्पादक व्यय को रोकने के उद्देश्य से शासन द्वारा समय-समय पर आदेश निर्गत किये जाते रहे हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजकीय व्यय में मितव्ययिता पर पूर्व में निर्गत निर्देशों को सम्मिलित करते हुए सरकारी वाहनों की अनुमन्यता एवं उनके रख-रखाव आदि के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये हैं। शासन द्वारा लिए गये इन निर्णयों को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित किया जाय।

**( अ ) वाहनों का उपयोग :—**

(1) प्रत्येक अधिकारी द्वारा जिसे वाहन आंबटित है, रु० 250/- प्रतिमाह प्रति वाहन (कार के संबंध में) तथा रु० 200/- प्रतिमाह प्रति वाहन (जीप के संबंध में) राजकीय कोष में जमा किया जायेगा। यह धनराशि संबंधित अधिकारी के वेतन से काट ली जायेगी। इस कटौती के बाद संबंधित अधिकारी को एक माह में 200 कि०मी० तक राजकीय वाहनों का निजी प्रयोग अनुमन्य होगा। यदि निजी उपयोग किसी माह में 200 कि०मी० से अधिक होता है तो संबंधित अधिकारी द्वारा रु० 3.00 प्रति कि०मी० वाहन की दर से धनराशि देय होगी।

(2) जिले में तैनात अधिकारियों के लिए जो जिला मुख्यालय जाते हैं और इसी प्रकार जिला स्तर के अधिकारी जब मण्डलीय अधिकारियों के यहाँ बैठक में जाते हैं, तो यह यात्रा सरकारी यात्रा की श्रेणी में मानी जायेगी और इसके लिए सरकारी वाहन ले जाना अनुमन्य होगा।

(3) मण्डलों एवं जिलों में नियुक्त अधिकारियों को अनुमन्य सरकारी वाहन यदि उनके कार्यक्षेत्र/अधिकार क्षेत्र की सीमा के बाहर ले जाये जाते हैं तो :—

(क) इस हेतु मण्डलायुक्त की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

(ख) जो अधिकारी मण्डलायुक्त की स्वीकृति से अपने कार्यक्षेत्र/अधिकार क्षेत्र से बाहर राजकीय वाहन ले जायेंगे उन्हें रु० 3.00 प्रति कि०मी० की दर से उस दूरी के लिए धनराशि जमा करनी होगी। यह धनराशि इन मामलों में भी जमा की जायेगी जहाँ वाहन 'गवर्नमेन्ट ड्यूटी' पर ले जाया गया हो।

(ग) यदि कार्यक्षेत्र/अधिकार क्षेत्र के बाहर की उपरोक्त यात्रा राजकीय है तो संबंधित अधिकारी इस प्रकार टी०ए० डी०ए० चार्ज करने का अधिकारी होगा जैसे वह यात्रा रेल द्वारा संबंधित अधिकारी से उस श्रेणी में हो जो उसे अनुमन्य हो।

(घ) एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय अथवा एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को राजकीय वाहनों को सम्बद्ध (अटैच) किए जाने की प्रथा पूर्णतया समाप्त की जाती है और इस प्रकार जो गाड़ी जिस अधिकारी अथवा कार्यालय को आवंटित है वह वहीं रहे और नियमानुसार उपयोग में लाई जाय।

(ब) नई गाड़ियों का क्रय एवं स्वीकृति—

(1) भविष्य में नई गाड़ियों का क्रय/पुरानी गाड़ियों के प्रतिस्थापन प्रस्तावों का परीक्षण करते समय वाहनों की गणना निम्न नीति के अनुसार की जायेगी।

(2) राज्य स्तर पर रु० 5900-6700 अथवा इससे अधिक वेतन के अधिकारियों को प्रत्येक को एक राजकीय वाहन अनुमन्य किया जायेगा।

(3) विभागाध्यक्ष स्तर पर वाहनों की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :—

(क) विभागाध्यक्ष के लिए एक वाहन।

(ख) विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव हेतु एक अतिरिक्त वाहन।

सचिवालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु वाहन अनुभाग की संख्या को देखते हुए निम्न प्रकार उपलब्ध कराये जायेंगे :—

| अनुभागों की संख्या | वाहनों की संख्या |
|---|---|
| 0-4 | 0 |
| 5-14 | 1 |
| 15-24 | 2 |
| 25--34 | 3 |
| 35 या ऊपर | 4 |

(1) विभाग में राज्य स्तर पर 3700 से 5000 या उससे अधिक के वेतनमान के अधिकारियों के लिए हर चार अधिकारी पर एक वाहन तथा जहाँ इस वेतनमान के अधिकारियों की संख्या चार से कम हैं वहाँ एक राजकीय वाहन आवंटित किया जायेगा।

(2) फील्ड स्तरीय अधिकारियों को उनके कार्य की प्रकृति को देखते हुए पूर्व की भांति वाहन अनुमन्य होंगे।

उपरोक्त आधार पर गणना करने के बाद ही नये वाहनों के क्रम अथवा पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से ही दी जायेगी।

(3) भविष्य में जो भी अस्थायी प्रकृति के बारे में पद सृजित होंगे, उस पद सामान्यत: कोई राजकीय वाहन नहीं दिया जायेगा। जो आयोग आदि बनेंगे उन्हें राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे बल्कि आयोग के संबंधित अध्यक्ष/सदस्य अधिकारी को 1250/- रुपये प्रतिमास की दर से वाहन भत्ता दिया जायेगा।

जिन आयोगों आदि में मा० उच्च न्यायालय/मा० उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष/सदस्य होंगे वहाँ उन्हें वाहन भत्ते की वह धनराशि अनुमन्य की जायेगी जो भारत सरकार द्वारा निर्देशित होगी।

2—उपर्युक्त समस्त निर्देश सरकारी विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्राधिकरणों तथा राज्य विश्वविद्यालयों आदि पर समान रूप से लागू होंगे।

भवदीय,
बृजेन्द्र सहाय
मुख्य सचिव।